HAQ Centre for Child Rights

iProbono

प्रैक्टिस नोट

पॉक्सो (POCSO) बेल आवेदन में शिकायतकर्ताओं के अधिकार

मार्च 2021

1. जनवरी 2020 में, न्यायमूर्ति जी.एस. सिस्तानी और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामलों में पालन किए जाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। यह प्रावधानों का जनादेश है कि जमानत की अर्ज़ियों की सुनवायी के समय पीड़ित / शिकायतकर्ता / मुखबिर या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यह जनहित याचिका (पीआईएल), रीना झा और ए. एन. आर. बनाम भारतीय संघ और संगठन, का प्रत्यक्ष परिणाम था, जिसे मई 2017 में HAQ - सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, और iProbono के माध्यम से यौन शोषण से बचे नाबालिक बच्चों की पीड़ित माताओं की ओर से दायर किया गया था। इस जनहित याचिका ने POCSO नियमों के नियम 4 (11) और (12) पर जोर दिया, जिसके अनुसार, पुलिस को उत्तरजीवी के परिवार को गिरफ्तारी, जमानत की सुनवाई, जमानत देने आदि के बारे में सूचित करना चाहिए।

2. यह बताना प्रासंगिक है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('Cr.PC') की धारा 439 (1A) यह अनिवार्य करता है कि किसी भी स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) या 376AB या 376DA या 37DDDB के तहत ('IPC'), जमानत के लिए आवेदन सुनने के समय मुखबिर या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24.09.2019 को जिला न्यायाधीशों को प्रैक्टिस दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि जांच अधिकारी ('IO') द्वारा मुखबिर / उसके प्रतिनिधि को जमानत आवेदन की सूचना कैसे दी जानी थी, और इस तरह के सेवा के प्रमाण को IO द्वारा जमानत आवेदन के लिए उनके उत्तर के लिए अनुलग्न किया जाना था।हालांकि, उन्हें POCSO अधिनियम के तहत मामलों तक नहीं बढ़ाया गया था। इन प्रावधानों को लागू नहीं करने से POCSO परीक्षण प्रभावित होते हैं क्योंकि यह पीड़ित / शिकायतकर्ता को निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के अधिकार और गवाह सुरक्षा सहित अन्य मुद्दों से वंचित करता है क्योंकि इस बात की संभावना है कि अभियुक्त पीड़ित / अन्य सामग्री के गवाह को प्रभावित कर सकता है, जो तब मामले के परिणाम को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। जमानत की सुनवाई के दौरान पीड़ित और / या प्रतिनिधि के सामने अपनी बात रखने का अवसर पीड़ितों, उनके परिवारों और समुदाय के लिए सुरक्षा की एक और परत जोड़ता है।

प्रारंभिक निर्देश

उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि POCSO के तहत जमानत आवेदनों के संबंध में विशिष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता है, और हमारे वकीलों ने उस प्रभाव के लिए सिफ़ारिशें प्रस्तुत की हैं। 25.11.2019 को, कार्यवाही के दौरान, अदालत ने निर्देश दिया कि —

- सीआरपीसी की धारा 439 के अनुपालन में 24.09.2019 के दिल्ली उच्च न्यायालय के अभ्यास निर्देशों को सभी जिला न्यायाधीशों को भेजा जाए, जो इसे अपने-अपने क्षेत्राधिकार के तहत दिल्ली की सभी आपराधिक अदालतों के नोटिस में लाने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

- जिला न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए कि क्या इन अभ्यास निर्देशों का पालन किया जा रहा, और यदि नहीं, तो चूक का कारण क्या है।
- इन निर्देशों को दिल्ली में सभी बार संघों के अध्यक्षों और सचिवों के ध्यान में लाया जाना चाहिए और सभी संबंधित आपराधिक न्यायालयों के नोटिस बोर्डों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

अतिरिक्त निर्देश

अंतिम तर्क चरण में, iProbono के वकीलों ने प्रस्तुत किया कि ये अभ्यास निर्देश धारा 439 Cr. PC में संशोधनों पर आधारित हैं और धारा 376 (3), 376-एबी, 376-डीए और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 के 376-डीबी के तहत यौन अपराधों के गंभीर रूपों पर लागू होते हैं, हालांकि, उन्हें POCSO अधिनियम के तहत मामलों तक नहीं बढ़ाया गया है, जो प्रकृति में समान रूप से जघन्य हैं। उन्होंने आगे पॉक्सो नियमों के नियम 4 (11) और 4 (12) (viii) के साथ पढ़े गए पॉक्सो अधिनियम की धारा 40 की ओर अदालत का ध्यान आकृष्ट किया, जो क्रमशः कानूनी सलाह के अधिकार और बच्चे और उसके माता-पिता / अभिभावक को आरोपी की गिरफ्तारी या जमानत की सूचना देने के पुलिस के कर्तव्य से संबंधित है। यह प्रस्तुत किया गया कि प्रैक्टिस दिशा या एक ही प्रभाव के अतिरिक्त निर्देशों को POCSO अधिनियम के तहत अपराधों के लिए बढ़ाया और लागू किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, 27.01.2020 को, अदालत ने अंतिम फ़ैसला सुनाया और निर्देश दिया कि -

- दिल्ली उच्च न्यायालय अभ्यास निर्देश के प्रावधान यथोचित परिवर्तन करके (मूटाटीस मूटान्डीस) पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों पर भी लागू होते हैं।
- पॉक्सो अपराधों के संबंध में, जहाँ अपराध परिवार के किसी करीबी सदस्य द्वारा किया गया है, ऐसे परिवार के सदस्यों को नोटिस जारी करने से या अभ्यास निर्देशों के अनुरूप जानकारी देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए, हमारे वकील के सुझाव पर, अदालत ने निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में संबंधित बाल कल्याण समिति को नोटिस जारी किया जाए, और नोटिस/सूचना की एक प्रति दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डी॰एस॰एल॰एस॰ए॰) को भी भेजी जाए।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी और कार्यान्वयन के संबंध में POCSO नियम के नियम 6 के अधिदेश का सख्ती और विश्वासपूर्वक रूप से पालन करें।

3. रीना झा बनाम भारत संघ (सुप्रा) में निर्धारित दिशानिर्देशों ने POCSO मामलों की उचित देख-रेख और बाल उत्तरजीवियों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा के लिए एक मज़बूत मिसाल कायम की। इन अनिवार्य दिशानिर्देशों के बावजूद, जिला अदालत कई POCSO मामलों में उनका पालन करने में विफल रही और शिकायतकर्ता की

अनुपस्थिति में जमानत अर्जी पर सुनवाई जारी रही। COVID-19 लॉकडाउन के दौरान POCSO में जमानत की अर्जी और बलात्कार के मामलों में ड्यूटी सत्र न्यायाधीशों द्वारा निर्णय लिया जा रहा था, जो POCSO विशेष न्यायालयों की प्रक्रियाओं से परिचित हो भी सकते हैं और नहीं भी।

4. मई 2020 में, एक नाबालिक पीड़िता ने POCSO अधिनियम की धारा 6 से जुड़े एक मामले में अंतरिम जमानत दिए जाने से दुखी होकर, मिस जी (नाबालिक) ने अपनी मां बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अनर के माध्यम से याचिका दायर की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायालयों को धारा 439 (1 ए) सीआरपीसी और प्रैक्टिस निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए जमानत आदेश जारी करने और निर्देशों को जारी करने की मांग की। कोर्ट को सूचित किया गया कि दिल्ली में जिला अदालतों द्वारा COVID-19 लॉकडाउन के दौरान POCSO मामलों में जमानत के अधिकांश मामलों में शिकायतकर्ता / पीड़ित को नोटिस जारी नहीं किया गया था। POCSO जमानत मामलों में 122 सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आदेश जहां शिकायतकर्ता की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई थी, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए थे। इनमें से 36 मामलों में नियमित / अंतरिम जमानत दी गई थी। जवाब में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एलडी से एक रिपोर्ट का अनुरोध किया। कुलसचिव जनरल ने 22.04.2020 और 23.05.2020 के बीच की अवधि के लिए डेटा एकत्र किया, जिसमें दिखाया गया कि कुल 294 मामलों में जिसमें अभियुक्तों द्वारा जमानत मांगी गई थी, केवल 79 मामलों में नोटिस जारी किया गया था। यह देखते हुए कि नोटिस जारी करना एक अनिवार्य पूर्व शर्त है जिसे किसी भी मामले में उपेक्षित नहीं किया जा सकता है, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निम्नलिखित, अधिक विस्तृत निर्देश जारी किए:

- जब भी किसी अभियुक्त पर धारा 376 (3), 376-AB, 376-DA या 376-DB IPC या POCSO अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया जाता है, वह नियमित रूप से जमानत या अंतरिम जमानत के लिए आवेदन करता है, तो जांच अधिकारी (आई.ओ.) को और साथ ही पीड़ित / शिकायतकर्ता / मुखबिर के लिए रिकॉर्ड में दर्ज क़ानूनी सलाहकार के खिलाफ नोटिस जारी किया जाना चाहिए।
- जमानत अर्जी या ऐसे आवेदन की सूचना प्राप्त होने पर, आई.ओ. तुरंत अभ्यास निर्देशों के 'अनुबंध ए' के अनुसार निर्धारित प्रारूप में पीड़ित / शिकायतकर्ता / मुखबिर को नोटिस जारी करेगा। नोटिस देने की प्रक्रिया को स्थानीय थाने के एस.एच.ओ. द्वारा अनुबंध को निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जाएगा।
- जमानत की अर्जी के संबंध में IO द्वारा दायर उत्तर / स्थिति रिपोर्ट के साथ विधिवत पूरा किया हुआ अनुबंध A न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
- यदि आई.ओ. शिकायतकर्ता / पीड़ित / मुखबिर का पता नहीं लगा सकता है, तो इसका उल्लेख स्थिति रिपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा, यदि शिकायतकर्ता / पीड़ित / मुखबिर के पेश न होने का कोई विशेष कारण है, तो उसे दर्ज कर न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।
- यदि शिकायतकर्ता / पीड़ित / मुखबिर का पता नहीं लगाया गया है, तो IO व्यक्ति के ठिकाने का पता लगाने और उन्हें अदालत के समक्ष लाने का प्रयास करेगा।

- जमानत अर्जी पर सुनवायी करने से पहले, अदालत सुनिश्चित करेगी कि नोटिस दिया गया है। यदि नोटिस आई.ओ. के माध्यम से या रिकॉर्ड में दर्ज क़ानूनी सलाहकार के माध्यम से नहीं दिया गया है, तो द्वितीय सुरक्षा के रूप में, अदालत शिकायतकर्ता / पीड़ित / मुखबिर को समन जारी कर सकती है।
- एक बार जब वे अदालत में पेश होते हैं, तो पीड़ित / शिकायतकर्ता / मुखबिर के लिए या तो अपने स्वयं के वकील के माध्यम से या कानूनी सेवा प्राधिकरण के वकील के माध्यम से पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।
- जमानत का विरोध करने हेतु केस को प्रभावी ढंग से पेश करने के लिए पीड़ित / शिकायतकर्ता / मुखबिर के लिए आवश्यक सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।
- प्रत्येक जमानत आदेश में, शिकायतकर्ता या पीड़ित / मुखबिर की गैर-सेवा या गैर-सुनवाई के लिए नोटिस या कारणों की सेवा विशेष रूप से आदेश पारित करने से पहले दर्ज की जाएगी।
- यदि शिकायतकर्ता / पीड़ित / मुखबिर नोटिस दिए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होते हैं, तो अदालत कानून के अनुसार जमानत पर विचार कर सकती है।
- यदि अंतरिम जमानत किसी आपातस्थिति, जैसे कि परिवार में मृत्यु या मेडिकल इमरजेंसी के लिए माँगी जाती है, और शिकायतकर्ता / पीड़ित / मुखबिर को नोटिस की सूचना का इंतजार अव्यावहारिक लगता है, ऐसे दुर्लभ मामले में, आदेश में पहले इसके कारणों को दर्ज किया जाएगा।

5. इन दोनों निर्णयों और अभ्यास निर्देशों को पुलिस आयुक्त, दिल्ली और अभियोजन निदेशक और सभी जिला न्यायाधीशों को आगे प्रसार करने के लिए सभी दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (डी.एच.जे.एस.) अधिकारियों को संचारित किया जाना था।

6. दुर्भाग्य से, इन स्पष्ट निर्देशों के कार्यान्वयन में कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ शामिल हैं:

- पीड़ितों / शिकायतकर्ताओं को बार-बार जमानत की अर्जी पर सुनवाई के लिए बुलाया जाता है, जबकि अदालतों को धारा 40 POCSO अधिनियम के संदर्भ में वकील नियुक्त करना चाहिए जो उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जहां कोई निजी वकील पहले से ही नहीं है;
- IOs और SHO पीड़ित / शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर देते हैं, तब भी जब उन्हें कानूनी अभिभावक या वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है;
- लॉकडाउन के दौरान, आईओ अदालत में पीड़ित / शिकायतकर्ता की भौतिक उपस्थिति पर जोर देते हैं, हालांकि अदालतें वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके काम कर रही हैं। नियमित रूप से, पीड़ितों और / या उनके परिवारों को तब तक घंटों तक पुलिस स्टेशन में इंतजार करने के लिए मजबूर किया जाता है जब तक कि अदालत द्वारा वस्तुतः जमानत की अर्जी नहीं ले ली जाती। दोनों स्थितियों में पीड़ित और उनके परिवार के लिए अनावश्यक उत्पीड़न और असुविधा होती है।

- ऐसे मामलों में जहां पीड़ित / शिकायतकर्ता के पास अपना वकील नहीं है, धारा 40 POCSO अधिनियम के संदर्भ में DSLA के माध्यम से पीड़ित के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने में विफलता, अदालत के समक्ष क्या-क्या कठिनाइयाँ पेश करनी हैं, इस बारे में वे अनिश्चितता छोड़ सकते हैं।
- विशेष अदालत और विधिक सेवा प्राधिकरण की विफलता से बच्चे के हितों की स्वतंत्र रूप से पर्याप्त सुरक्षा हो सके, बहुत छोटे बच्चों से जुड़े मामलों में और अनाचार के मामलों में भी।

7. POCSO मामलों में बच्चों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को इनमें से कुछ चुनौतियों का ध्यान रखना चाहिए और अदालतों या IO को सूचित करना चाहिए कि पीड़ित / शिकायतकर्ता को वकील के माध्यम से अदालत में पेश किया जा सकता है।

8. ये निर्णय दिल्ली के सभी आपराधिक न्यायालयों के लिए POCSO मामलों में जमानत आवेदनों की सुनवाई के लिए एक प्रगतिशील मिसाल कायम करते हैं। बच्चों के लिए संवर्धित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अन्य न्यायालयों में मिसाल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अदालतों द्वारा जारी किए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक और संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाना चाहिए। जमानत की सुनवाई में पीड़ित को सुनाई गई सुनवाई का अधिकार सार्थक होना चाहिए और बच्चे के सर्वोत्तम हितों, सीमाओं और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए।

iProbono का मिशन लोगों को न्यायपूर्ण समाज की खोज में उनके अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम बनाना है।

सक्रिय नागरिकता को प्रोत्साहित करते हुए और समग्र स्वरूप को संलग्न करते हुए हम:

- जरूरत में लोगों का प्रतिनिधित्व करके सभी के लिए अग्रिम न्याय करना
- नागरिक समाज के प्रभाव को मजबूत करना
- सामाजिक इक्विटी को बढ़ावा देने और भेदभाव को समाप्त करने वाली नीतियों की वकालत करना

HAQ एक मानवाधिकार संगठन है जो सभी बच्चों के लिए सभी अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है, उन्हें आज के नागरिकों और कल के वयस्कों के रूप में पहचानता है।

ज्ञान निर्माण, साक्ष्य आधारित वकालत और संचार, संकट, सहयोग और साझेदारी में बच्चों के लिए प्रत्यक्ष समर्थन के माध्यम से सभी विकास योजना और कार्रवाई में बाल अधिकारों और बच्चों की चिंताओं को मुख्यधारा में लाना।

हमारे काम के बारे में और जानने के लिए, यहाँ जाएँ

iProbono - **www.i-probono.com and**

HAQ Centre for Child Rights - **https://www.haqcrc.org/**

किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया संपर्क करें:

मरियम फारुकी, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय निदेशक, iProbono

mariam.faruqi@i-probono.com

भारती अली, सह-संस्थापक और कार्यकारी निदेशक, HAQ Centre for Child Rights

bharti@haqcrc.org